

सूचना

ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जोकि अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची प्राप्त नहीं होने के कारण, इन्टरनेट की अंकसूची ऑनलाइन सत्यापन हेतु अपलोड कर रहे हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इन्टरनेट की अंकसूची के साथ ही बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा का प्रवेश पत्र अथवा परीक्षा परिणाम का अधिकृत वेबसाइट से सत्यापन हेतु अन्य कोई दस्तावेज, इन्टरनेट की अंकसूची के साथ मर्ज (**merge**) कर, जेपीजी फाइल बनाकर आवश्यक रूप से ऑनलाईन सत्यापन हेतु अपलोड करें।

दिनांक:-29/08/2020

आदेशानुसार
अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति
मध्यप्रदेश